न सं0–563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 धर्मेन्द्र कुमार पिता सरयू प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट–हजारीबाग, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0–157, खाता संख्या–18 प्लॉट संख्या–118/1140, रकवा 0.0287 एकड़ (2.87 डिसमिल) (दो दशमलव आठ सात डिसमिल) भूमि अरुण कुमार पिता सरयु प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट–हजारीबाग, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-313/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1477/रा0 दिनांक 31.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 332 दिनांक 17.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला द्वारा खरीदगी हासिल है। केवाला संख्या 9639 दिनांक 15.09.1999 है। खतियान के अनुसार रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयत मोती कान्दू वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.75 एकड़ भूमि है। पंजी–।। के पृष्ठ संख्या-117/XIII पर धर्मेन्द्र कुमार, अरुण कुमार के नाम से रकवा 5.75डी0 भूमि का जमाबंदी दर्ज है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 5.75डी0 संयुक्त खाता में है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 2.87 डिसमिल संयुक्त खाता में बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में धमेन्द्र कुमार पिता सरयू प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0-157, खाता संख्या-18 प्लॉट संख्या-118/1140, रकवा 0.0287 एकड़ (2.87 डिसमिल) (दो दशमलव आठ सात डिसमिल) भूमि अरुण कुमार पिता सरयु प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 19/5/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 19/5/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.05.20 16:10:29 +05:30
Location: 192.168.0.101